

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस
मुकदमा न० राजस्व प्रकरण 64/2023

प्रार्थीगण :-

1. अणदराम पुत्र आदूराम
2. गोमाराम पुत्र आदूराम
3. नेनाराम पुत्र आदूराम
4. तुलछाराम पुत्र आदूराम
5. जुगताराम पुत्र हरखाराम
6. दमाराम पुत्र हरखाराम
7. केशाराम पुत्र हरखाराम
8. नैनूदेवी पत्नी हरखाराम सभी जातियान जाट निवासीयान भीमरलाई स्टेशन, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. चिमराम पुत्र मगाराम
2. जेहाराम पुत्र मगाराम
3. मोटाराम पुत्र मगाराम
4. रायचन्द्रराम पुत्र मगाराम
5. डालुराम पुत्र कलाराम
6. रामाराम पुत्र कलाराम
7. दौलाराम पुत्र प्रहलादराम
8. पाबूराम पुत्र प्रहलादराम
9. रामाराम पुत्र प्रहलादराम
10. भोमाराम पुत्र हेमाराम
11. पूराराम पुत्र मगाराम
12. कुम्भाराम पुत्र मगाराम सभी जातियान जाट
13. तीजों कंवर पत्नी जगमालसिंह
14. राधा कंवर पत्नी सोनसिंह जाति राजपुरोहित
15. किस्तुराराम गोद पुत्र जौराराम
16. अमराराम पुत्र हेमाराम
17. गुलाराम पुत्र हेमाराम
18. चेनाराम पुत्र हेमाराम
19. नथाराम पुत्र राजुराम
20. वीराराम पुत्र भूराराम
21. नरसिंगाराम पुत्र हेमाराम
22. मेहराराम पुत्र हेमाराम
23. हीराराम पुत्र हेमाराम सभी जाति जाट
24. खेतसिंह पुत्र आईदानसिंह
25. देवीसिंह पुत्र आईदानसिंह
26. मलसिंह पुत्र आईदानसिंह सभी जाति राजपूत
27. लुम्भाराम पुत्र भूराराम
28. रायचन्द्रराम पुत्र जेठाराम



उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

29. कुम्भाराम पुत्र जेठाराम

30. मलाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट सभी निवासीयान, भीमरलाई स्टेशन, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

31. राजस्थान सरकार भूधारक जरिये तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व
नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :-

1. श्री पूनमाराम चौधरी, प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 31 एक पक्षीय


'आदेश'

दिनांक :- 9.6.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा भीमरलाई स्टेशन, पटवार हल्का खट्टू भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूधवा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 378 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 400 रकबा 6.8796 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 398 रकबा 0.0971, खसरा संख्या 399 रकबा 0.0971 हैक्टेयर गैर मुमकिन, कुल रकबा 8.6925 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 ता 4 मे खातेदारी के कब्जा काशत है एवं प्रार्थीगण सं. 5 ता 8 के खातेदार खेत खसरा संख्या 844/378 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 845/400 रकबा 7.0820 हैक्टेयर कुल रकबा 8.7007 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 31 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 31 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम भीमरलाई स्टेशन, पटवार हल्का खट्टू भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूधवा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 378 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा संख्या 400 रकबा 6.8796 हैक्टेयर किस्म बारानी


उप-खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

(3)

सोयम व खसरा संख्या 398 रकबा 0.0971, खसरा संख्या 399 रकबा 0.0971 हैक्टयर गैर मुमकिन, कुल रकबा 8.6925 हैक्टयर भूमि प्रार्थी संख्या 1 ता 4 के खातेदारी के कब्जा कारत है एवं प्रार्थीगण सं. 5 ता 8 के खातेदार खेत खसरा संख्या 844/378 रकबा 1.6187 हैक्टयर, खसरा संख्या 845/400 रकबा 7.0820 हैक्टयर कुल रकबा 8.7007 हैक्टयर भूमि आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कारत चला आ रहा है. प्रार्थीगण की भूमि के सेडा सेड विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास की जाती है.और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने करते रहते है. और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा भीमरलाई स्टेशन, पटवार हल्का खट्टू भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूधवा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 378 रकबा 1.6187 हैक्टयर, खसरा संख्या 400 रकबा 6.8796 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 398 रकबा 0.0971, खसरा संख्या 399 रकबा 0.0971 हैक्टयर गैर मुमकिन, कुल रकबा 8.6925 हैक्टयर भूमि एवं प्रार्थीगण सं. 5 ता 8 के खातेदार खेत खसरा संख्या 844/378 रकबा 1.61897 हैक्टयर, खसरा संख्या 845/400 रकबा 7.0820 हैक्टयर कुल रकबा 8.7007 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।



हमने वकील प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गभीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिशेष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा भीमरलाई स्टेशन, पटवार हल्का खट्टू भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूधवा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 378 रकबा 1.6187 हैक्टयर, खसरा संख्या 400 रकबा 6.8796 हैक्टयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 398 रकबा 0.0971, खसरा संख्या 399 रकबा 0.0971 हैक्टयर गैर मुमकिन, कुल रकबा 8.6925 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 ता 4 के खातेदारी के कब्जा कारत एवं प्रार्थीगण सं. 5 ता 8 के खातेदार खेत खसरा संख्या 844/378 रकबा 1.6187 हैक्टयर, खसरा संख्या 845/400 रकबा 7.0820 हैक्टयर कुल रकबा 8.7007 हैक्टयर अवस्थित भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079-2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है । विप्रार्थीगण

जयप्रकाश आश्रम

(S.D.O.) बालोतरा

(4)

को बादापुर राजिस्टर्ड नोटिस तागिनी के लागि नही हुए है। ऐसी सूचना में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर भीमरलाई स्टेशन, पटनार हल्का खट्टा, गू, अभिलेख निरीक्षणक क्षेत्र दूधवा, तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 378 एकबा 1.6187 हैक्टयर, खसरा संख्या 400 एकबा 6.8796 हैक्टयर किरम बारानी सीमण व खसरा संख्या 398 एकबा 0.0971, खसरा संख्या 399 एकबा 0.0971 हैक्टयर गैर मुभकिन, कुल एकबा 8.6925 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 ता 4 के खातेदारी के कब्जा कायत एवं प्रार्थीगण सं. 5 ता 8 के खातेदार खेत खसरा संख्या 844/378 एकबा 1.6187 हैक्टयर, खसरा संख्या 845/400 एकबा 7.0820 हैक्टयर कुल एकबा 8.7007 हैक्टयर भूमि के वारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है. उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण नको पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1500/- प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो।



(विवेक यास)
सहायक जिलाधिकारी
(अतिरिक्त) बालोतरा

आज दिनांक 9.06.2023 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/6/23
सहायक जिलाधिकारी
(अतिरिक्त) बालोतरा